



Neutral Citation No. - 2026:AHC:24548

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 473/2026

महेन्द्र कुमार एवं 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 15 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अर्पित मालवीय, अवधेश कुमार मालवीय

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना और पटल पर उपलब्ध मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है: "(क) प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें कि वह प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष लंबित उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम की धारा 12 के तहत पुनःस्थापन प्रार्थना पत्र संख्या 0001/2025, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या 202554142960100001 (महेन्द्र व अन्य बनाम रामजी व अन्य) को एक निश्चित अवधि के भीतर त्वरित रूप से निस्तारित करें।"
3. यह तर्क दिया गया है कि मामला काफी लंबे समय से विचाराधीन है, इस तथ्य के बावजूद कि विपक्षी पहले ही उपस्थित हो चुका है और वाद अंतिम न्यायनिर्णयन के लिए तैयार है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले के शीघ्र निस्तारण का निर्देश जारी किया जाता है।
5. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, इस रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है। चकबंदी अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 2), जिनके समक्ष उपरोक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो, तो वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से, अधिमानतः छह महीने की अवधि के भीतर, कानून के अनुसार शीघ्रता से इसका निर्णय करें।
6. उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4 फरवरी, 2026

विनय

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"